कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/भौतिक/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्रीमती प्रियांशु राठौड़, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राउमावि कटारा (नदबई) भरतपुर का स्थानांतरण राउमावि रजवास शेरसिंह (दौसा) किया गया। श्रीमती प्रियांशु राठौड़ ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में **अपील संख्या 4226/2019 श्रीमती प्रियांशु राठौड़ बनाम निदेशक, माध्य. शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं अन्य दायर** की गई।

अपील संख्या 4226/2019 में माननीय अपील अधिकारण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.19 द्वारा अपीलार्थी श्रीमती प्रियांशु राठौड़ को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार अपीलार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

अपील अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्रीमती प्रियांशु राठौड़ द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी वृद्ध सास के टी.बी. रोग से पीड़ीत होने एवं दो छोटे बच्चे होने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. स्वामी विवे. रा. मॉडल स्कूल, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) 2. स्वामी विवे. रा. मॉडल स्कूल, कठूमर (अलवर) 3. राउमावि देवती (राजगढ़) अलवर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि रजवास शेरसिंह (दौसा) में व्याख्याता के पद पर दिनांकः12/03/2020 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–3/भौगकृ/अभ्यावेदन/प्रियांशु राठौड़/को.के/18–19/12 दिनांकः 05/03/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमती प्रियांशु राठौड़ के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरू सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि कटारा (नदबई) भरतपुर/राउमावि रजवास शेरसिंह (दौसा)
9. कार्मिक श्रीमती प्रियांशु राठौड़ व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राउमावि रजवास शेरसिंह (दौसा)
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:/17.12.16/desktop/court